न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कु
आई.ए.ए

प्रथम अपील संख्या 335 / 2022

रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 335 / 2022 पर दिनांक 18.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 5351–51 दिनांक 18.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2022 / 1960 दिनांक 01.11.2022 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा निवासी भडून्दा खुर्द द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 के संबंध मे चाही गई सूचना बिन्दूवार निम्न प्रकार है कि 1. रेवेन्यू विभाग मे स्थापित नियमो के अनुसार सीमाज्ञान के व्यक्तिगत के केस मे तहसील कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान पर विवाद होने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को तकनिकी सहयोग प्रदान करने हेतु बाध्य नही किया जाता है। 2. तहसील कार्यालय मे कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रकरों मे करवाये गये सीमाज्ञान पर उठे विवाद के पिछले 10 वर्षो के प्रकरणों के संबंध मे आपके द्वारा कौनसे प्रकरण मे प्रति चाही गई है उसका विवरण अंकित नही है। अतः आवेदक किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय मे उपसिति होकर रिकार्ड अवलोकन कर प्रकरणों को चिन्हित कर अवगत कराने पर उक्त प्रकरणों की प्रतिलिपि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 20005 के तहत उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2022 / 1960 दिनांक 01.11.2022 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा निवासी भडून्दा खुर्द द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 के संबंध मे चाही गई सूचना बिन्दूवार निम्न प्रकार है कि 1. रेवेन्यू विभाग मे स्थापित नियमो के अनुसार सीमाज्ञान के व्यक्तिगत के केस मे तहसील कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान पर विवाद होने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को तकनिकी सहयोग प्रदान करने हेतु बाध्य नही किया जाता है। 2. तहसील कार्यालय मे कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रकरों मे करवाये गये सीमाज्ञान पर उठे विवाद के पिछले 10 वर्षो के प्रकरणों के संबंध मे आपके द्वारा कौनसे प्रकरण मे प्रति चाही गई है उसका विवरण अंकित नही है। अतः आवेदक किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय मे उपसिति होकर रिकार्ड अवलोकन कर प्रकरणों को चिन्हित कर अवगत कराने पर उक्त प्रकरणों की प्रतिलिपि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 20005 के तहत उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:30 IST
Reason: SelfAttested